संख्या-100 /2022/**I/200181/2022** /001-71-2002-92-2019

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्साभ विश्व0विद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 11 अगस्त 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0 में थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-104/योजना अनु0/2022, दिनांक 04-04-2022 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- **के0जी0एम0यू0 में थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-27/2018/810/71-2-2018-केजीएमयू-56/2016, दिनांक 22-2-2018 द्वारा रू0 1742.51 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 538.20 लाख की धनराशि एवं शासनादेश संख्या- संख्या-33/2019/641/71-2-2019-केजीएमयू-56/2016 दिनांक 25.03.2019 के द्वारा धनराशि रू0 855.80 लाख अवमुक्त की गयी है। इसप्रकार कुल धनराशि रू0 1394.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।**

3- **इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0 में थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी भवन (सी0टी0वी0) के ऊपर एक अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 206.494 लाख तथा अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) से रू0 54.891 लाख अर्थात कुल रू0 261.385 लाख (रूपया दो करोड इक्सठ लाख अडतिस हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-**

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध</u>

1) **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।**
2) **अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं दिशा-निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3) प्रायोजना हेतु निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति, के0जी0एम0यू0 की होगी।
5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।
6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
7) प्रश्नतगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,06,49,400 (रुपये दो करोड़ छह लाख उनचास हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 54,89,100 (रुपये चौवन लाख नवासी हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-100 /2022/**I/200181/2022** /001-71-2002-92-2019, **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0, **इलाहाबाद।**
2) **प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0, **इलाहाबाद।**
3) **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज।**
4) **संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ ।**
5) **महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण**, उ0प्र0।
6) **वित्त नियंत्रक**, के0जी0एम0यू0, **लखनऊ।**
7) **महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक**, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, **लखनऊ।**
8) **नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग**, उ0प्र0 **शासन।**
9) **वित्त ई-**3/**नियोजन अनुभाग-**4/**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**2/**समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।**
10) **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Filename: doc1 (25)
Directory: C:\Users\me-2\Desktop
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/12/2014 4:35:00 PM
Change Number: 9
Last Saved On: 8/11/2022 4:03:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 42 Minutes
Last Printed On: 8/11/2022 4:06:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 3
Number of Words: 656 (approx.)
Number of Characters: 3,741 (approx.)